Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

# छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

www.cghb.gov.in

## !! संशोधित-आदेश !!

क्रमांक.....14...../2018 दिनांक 06/07 /2018

विषयः- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों को बकाया राशि जमा करने में विलंबित अवधि ब्याज में छूट पर आंशिक संशोधन।

--- 000 ---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की 56वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 30.05.2018 के पद संख्या 36 संकल्प कमांक 1662/36/56/05/2018 पर दीर्घ विचारोपंरात सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल की स्ववित्तीय योजनांतर्गत आबंटित एल.आई.जी. तथा ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के बकायादारों द्वारा संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त (One Time Settlement) अंतर्गत दिनांक 31.08.2018 तक जमा करने पर विलंबित अवधि की ब्याज राशि में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। मुख्यालय के आदेश कमांक 10 दिनांक 25.06.2018 द्वारा निर्देश जारी किए गए है।

कतिपय प्रकरणों में आबंटी/बकायादारों के खाता लेजर तैयार करने पर ध्यान में आया है की बकायादारों को ब्याज राशि में छूट प्रदान करने पर अवशेष राशि ऋणात्मक आ रही है। इस संबंध में समस्त संपदा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, आबंटियों को विलंबित अवधि की ब्याज राशि में 50 प्रतिशत छूट देने के पश्चात् अवशेष राशि ऋणात्मक पाई जाने पर किसी भी स्थिति में राशि आबंटी को वापस नहीं किया जावेंगा। इसे शून्य माना जावेगा। यह आदेश मूल आदेश की तिथी से लागू माना जावेगा।

(आदेशानुसार)

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

पृ.क्र. 1571 /सं.प्र.शा./मु.सं.अ./मुख्या/फा.नं.-387/18 नया रायपुर, दिनांक 06/07/2018

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।